राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

दूरभाष सं. 0141–2222469, 2226760 ईमेल : cedlbjp@gmail.com वेबसाईट : www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ. 56 (क)( )सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2022–23 /33817-34036 दिनांक : 12/05/2022

1. उप निदेशक (क्षेत्रीय),
   स्थानीय निकाय विभाग,
   समस्त राजस्थान।

2. आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,
   नगर निगम / परिषद / पालिकायें (समस्त),
   राजस्थान।

विषय : मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अनुसरण में राज्य की समस्त नगरीय निकायों में **''इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY-Urban)''** के क्रियान्वयन बाबत।

———————

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट के बिन्दु सं. 6 पर शहरों में आमजन के लिये रोजगार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से **''इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना''** लागू करने की घोषणा की गई है। इस योजना के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022–23 से राज्य के शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों को उनके द्वारा चाहे जाने पर प्रतिवर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है।

इसी क्रम में लेख है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना **(IRGY-Urban)** की क्रियान्विति हेतु मुख्यमंत्री महोदय द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में राशि रूपये 800.00 करोड़ की घोषणा की गई है, जिसमें प्रशासनिक व प्रबन्धन व्यय पर योजना के कुल बजट का 6 प्रतिशत की सीमा में निर्धारित करते हुये, शेष राशि से नगरीय निकायों में श्रम आधारित कार्य करवाये जायेंगे। चालू वित्तीय वर्ष में विभाग द्वारा नगरीय निकायों को अनंतिम (Tentative) रूप से राशि आवंटित करने हेतु निम्नानुसार प्रावधान किया जाता है :–

कुल बजट–रू. 800 करोड़						
राज्य और नगरीय निकायों के लिए 6 प्रतिशत से कम प्रशासनिक प्रभार						
शुद्ध राशि–752 (SAY 750 करोड़)						
						राशि (करोड़ रूपये में)
क्रम सं.	विवरण	नगरीय निकायों की संख्या (A)	प्रत्येक निकाय की प्रस्तावित राशि (B)	कुल राशि C=(A*B)	श्रम घटक (अकुशल) C का 75% (D)	अर्द्धकुशल / कुशल श्रमिक, सामग्री और अन्य व्यय C का 25% (E)
1	नगर निगम	10	20.00	200.00	150.00	50.00
2	नगर परिषद्	36	6.00	216.00	162.00	54.00

Scanned with CamScanner

3	नगर पालिका	167	2.00	334.00	250.50	83.50
	योग	213		750.00	562.50	187.50

नोट : उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में वित्त विभाग के निर्देशानुसार योजना की कुल बजट राशि रूपये 800.00 करोड में से 6 प्रतिशत राशि प्रशासनिक व्यय मद में निदेशालय स्तर पर गठित **IRGY** प्रकोष्ठ में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों एवं नगरीय निकायों में संविदा पर नियुक्त कार्मिकों के वेतन के लिये प्रावधान रखा गया है।

यह वित्त विभाग की ID संख्या 102201948 दिनांक 02.05.2022 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी किया जा रहा है।

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : एफ. 56 (क)( )सीई/डीएलबी/IRGY(U)/2022–23/34037-312 दिनांक : 12/05/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त/आयोजना विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय–3) विभाग, राज. जयपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
8. सम्भागीय आयुक्त (समस्त), राजस्थान।
9. जिला कलेक्टर (समस्त), राजस्थान।
10. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकायें (समस्त), राजस्थान।
11. समस्त अधिकारीगण, निदेशालय।
12. वित्तीय सलाहकार/परियोजना निदेशक, निदेशालय।
13. संयुक्त निदेशक (जन सम्पर्क), निदेशालय को प्रिन्ट व इलेक्ट्रानिक मीड़िया में प्रकाशन करवाने हेतु पालनार्थ।
14. श्री अशोक मीणा, एनालिस्ट कम कम्प्यूटर प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु पालनार्थ।
15. सुरक्षित पत्रावली।

(महेन्द्र मोहन)
वित्तीय सलाहकार

Scanned with CamScanner